इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 अगस्त 2015—श्रावण 14, शक 1937

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2015

क्र. एफ 5-1-2015-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-13-88-पन्द्रह-1, दिनांक 30 अगस्त 2001 एवं क्रमांक एफ. 5-4-2011-पन्द्रह-1, दिनांक 19 जुलाई 2011 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश को-आपरेटिव्ह सोसाइटीज रूल्स, 1962 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची

संपरीक्षा फीस का मान

[नियम 50क उपनियम (1) देखिए]

किसी सोसाइटी से संपरीक्षा फीस, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) की धारा 10 के अंतर्गत रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा, समय-समय पर, किये गए उसके वर्गीकरण के अनुसार, वार्षिक कारबार के आधार पर निम्नानुसार उद्ग्रहीत की जाएगी :—

अनुक्रमांक	सोसाइटी का वर्ग	सोसाइटी का प्रकार	संपरीक्षा फीस के उद्ग्रहण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संसाधन सोसाइटी	प्राथमिक	बकाया ऋण अग्रिम
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	उपभोक्ता सोसाइटी—		
	(एक) विद्युत् सोसाइटी को छोड़कर	प्राथमिक	कुल विक्रय
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
	(दो) विद्युत् सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्नओवर
		शीर्ष	—तदैव—
3	उत्पादक सोसाइटी—		
	(एक) दुग्ध, तिलहन एवं लघुवनोपज को छोड़कर सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्नओवर
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
	(दो) दुग्ध, तिलहन सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
	(तीन) लघुवनोपज सोसाइटी	प्राथमिक	टिप्पण क्र. 5 के अनुसार
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
4	गृह निर्माण सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्नओवर
		शीर्ष	—तदैव—
5	प्रसंस्करण सोसाइटी—		
	(एक) शक्कर संघ को छोड़कर	प्राथमिक	कुल विक्रय
		केन्द्रीय	—तदैव—
	(दो) शीर्ष शक्कर संघ	शीर्ष	कुल टर्नओवर
6	बहुप्रयोजन सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्नओवर
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
7	साधारण सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्नओवर
		केन्द्रीय	—तदैव—
		शीर्ष	—तदैव—
8	विपणन सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय
		शीर्ष	—तदैव—
9	फार्मिंग सोसाइटी	प्राथमिक	कुल टर्नओवर
		शीर्ष	—तदैव—

2. किसी सोसाइटी से संपरीक्षा फीस का उद्ग्रहण संपरीक्षा फीस की न्यूनतम/अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उसके वार्षिक कारबार के संबंध में, जो औसत कारबार से कम/अधिक हो और संलग्न उपाबंध-1 में उल्लिखित दरों तथा अन्य शर्तों पर किया जाएगा.

3. किसी सोसाइटी का वार्षिक कारबार तत्स्थानी स्लेब में उल्लिखित औसत कारबार से कम होने पर संपरीक्षा फीस न्यूनतम सीमा के अधीन तथा किसी सोसाइटी का वार्षिक कारबार औसत सीमा से अधिक होने पर संपरीक्षा फीस अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए

उद्ग्रहीत की जाएगी, किन्तु इस अनुसूची में विहित दरों से संपरीक्षा फीस की उद्ग्रहणीय राशि कोई भी क्यों न हो, निम्नलिखित संस्थाओं के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम संपरीक्षा फीस निम्नानुसार उद्ग्रहणीय होगी :—

क्र.	संस्था का प्रकार/नाम	न्यूनतम संपरीक्षा फीस	अधिकतम संपरीक्षा फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्राथमिक बुनकर एवं पावरलूम सहकारी संस्थाएं	500/-	5,000/-
2	प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी	500/-	5,000/-
3	नागरिक सहकारी बैंक	20,000/-	2,00,000/-
4	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	500/-	25,000/-
5	शीर्ष सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	500/-	2,00,000/-
6	समस्त प्रकार की शीर्ष एवं केन्द्रीय सोसाइटी जिनका समवर्ती अंकेक्षण बाह्य अंकेक्षक द्वारा किया गया हो—		
	1000 करोड़ तक (केन्द्रीय एवं अपैक्स सोसायटी)	500/-	3,00,000/-
	1000 करोड़ से अधिक – केन्द्रीय सोसायटी	500/-	4,00,000/-
	1000 करोड़ से अधिक – शीर्ष	500/-	6,00,000/-

4. परिसमापन के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षा फीस वसूल की गई आस्तियों पर एक प्रतिशत दर से उद्ग्रहीत की जाएगी.

5. परन्तु टिप्पण क्रमांक 5 में लिखित प्रावधान के अध्यधीन रहते हुए, उस दशा में, जब सोसाइटी अनन्य रूप से या अपने स्वयं के कारबार के अतिरिक्त अभिकरण के आधार पर कारबार कर रही हो, तो अर्जित कमीशन/प्रदत्त सेवाओं के लिये प्राप्त सेवा प्रभारों पर 1 प्रतिशत की दर से अधिकतम राशि रु. 3,00,000/- की सीमा में संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत की जाएगी, परन्तु इस खण्ड के अधीन संपरीक्षा फीस उन सोसाइटियों के मामले में लागू नहीं होंगी, जिनकी संपरीक्षा फीस कुल टर्नओवर के आधार पर उद्ग्रहीत की गई है.

6. किसी सोसाइटी की प्रसंस्करण इकाई, स्थानीय/क्षेत्रीय/जिला तथा संभागीय स्तर की शाखाएं/विक्रय केन्द्र को उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए पृथक् शाखा के रूप में माना जायेगा और नीचे वर्णित दरों के अनुसार अतिरिक्त संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत की जाएगी :—

अनुक्र.	विशिष्टियां	प्राथमिक	केन्द्रीय	शीर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वित्तीय बैंकों के लिये	250/-	500/-	1,000/-
2	अन्य सोसाइटियों के लिये	100/-	250/-	500/-
3	प्रसंस्करण इकाई के लिये	500/-	500/-	500/-

7. उद्ग्रहीत संपरीक्षा फीस निकटतम रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी.

8. कोई सहकारी सोसाइटी, जिसकी संपरीक्षा विभागीय संपरीक्षक द्वारा की गई हो तो संपरीक्षा फीस का भुगतान लेव्ही मेमों जारी होने के 2 माह के भीतर शासकीय कोषालय में, लेखा शीर्ष 0425-सहकारिता-101, में जमा करना सुनिश्चित करेगी. किन्तु यदि किसी सोसाइटी द्वारा यदि सनदी लेखापाल / सनदी लेखापाल फर्म द्वारा वैधानिक अंकेक्षण कराया गया है तो ऐसा भुगतान रजिस्ट्रार द्वारा जारी लेव्ही मेमो के अनुसार, सनदी लेखापाल / सनदी लेखापाल फर्म को सोसाइटी द्वारा किया जाएगा. ऐसे सनदी लेखापाल / सनदी लेखापाल फर्म को देय ऐसे पारिश्रमिक के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त रकम राज्य शासन को, शासकीय कोषालय में जमा करना सोसाइटी के लिए बाध्यकारी होगा.

9. **संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट.**—सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा विभागीय संपरीक्षक से कराये जाने की स्थिति में निम्नानुसार संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट दी जावेगी :—

(1) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी जो या तो निष्क्रिय या प्रसुप्त अथवा आर्थिक रूप से कमजोर या परिसमापन के अधीन हो और जिसका कोई नगद संव्यवहार न हो.

(2) प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक प्राथमिक सोसाइटी को, उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम दो लेखा वर्षों के लिये संपरीक्षा फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी परन्तु महिला सदस्यों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा संचालित सोसाइटी को पांच वर्ष के लिये छूट होगी.

(3) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित वस्तुओं के विक्रय को संपरीक्षा फीस के उद्ग्रहण से छूट रहेगी.

10. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) एवं उसके अधीन विरचित नियम, 1962 के नियम 50 के उपनियम (11) के खण्ड (दो) के अधीन यदि किसी संस्था की विशेष संपरीक्षा करायी जाती है तो विशेष संपरीक्षा आदेश जारी होने के पूर्व निम्नानुसार शुल्क का भुगतान शासकीय कोषालय में लेखा शीर्ष 0425–सहकारिता–101, में चालान द्वारा जमा किया जाना आवश्यक होगा.

अनु. क्र.	विशिष्टियां	विशेष अंकेक्षण शुल्क (राशि रुपये)
(1)	(2)	(3)
1	शीर्ष सहकारी संस्थाएं	5,000/–
2	केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं	2,000/–
3	प्राथमिक सहकारी संस्थाएं	500/–

11. प्रत्येक सोसाइटी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) एवं नियम 50–क के उपनियम (3) के अधीन प्रतिवर्ष 30 सितम्बर के पूर्व लेखाओं के संपरीक्षित विवरण रजिस्ट्रार कार्यालय में नीचे वर्णित दरों के अनुसार शासकीय कोषालय में 0425–सहकारिता–101 मद में जमा किये गये चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है.

अनु. क्र.	विशिष्टियां	शुल्क (राशि रुपये)
(1)	(2)	(3)
1	शीर्ष सहकारी संस्थाएं	500/–
2	केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं	300/–
3	प्राथमिक सहकारी संस्थाएं	100/–

12. यदि किसी सोसाइटी द्वारा विभागीय संपरीक्षक से समवर्ती अंकेक्षण कराया जाता है तो सोसाइटी को अंकेक्षण हेतु नियुक्त विभागीय अधिकारी/कर्मचारी का मासिक वेतन उनके कार्य करने के समय के अनुपात में प्रत्येक त्रैमास में शासकीय कोषालय में जमा कराना आवश्यक होगा.

13. सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को किसी सोसाइटी का वैधानिक अंकेक्षण हेतु यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा बोर्डिंग या अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा.

14. इस संबंध में केन्द्र शासन की अधिसूचना के अनुसार, संपरीक्षा फीस के अतिरिक्त, प्रभारित संपरीक्षा फीस पर आधारित सेवा कर सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को पृथक् से देय होगा.

15. अधिसूचना में विहित कालावधि के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट के विलंब से प्रस्तुत किये जाने की दशा में, संपरीक्षक फर्म को देय पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत प्रति माह की दर से कटौती की जाएगी.

16. **परिभाषाएं.—**

(1) ''वैधानिक अंकेक्षण'' से अभिप्रेत है कि किसी लेखा वर्ष के लिये किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा, और वित्तीय विवरण के सत्यापन तथा विश्लेषण के पश्चात् संपरीक्षा नोट प्रस्तुत किया जाना;

(2) ''समवर्ती संपरीक्षा'' से अभिप्रेत है, किसी लेखा वर्ष के लिये किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा, जो चालू वर्ष के दौरान नियमित रूप से दिन-प्रतिदिन की जानी है;

(3) ''संपरीक्षा फीस'' से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी की संपरीक्षा, निरीक्षण, जाँच तथा उसके पर्यवेक्षण के लिये विभाग द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में उस सोसाइटी से उद्ग्रहीत सेवा प्रभार;

(4) ''कुल विक्रय'' से अभिप्रेत है, व्यापारिक क्रियाकलापों के दौरान अभिप्राप्त वस्तुओं के विक्रय की रकम, जिसमें विक्रय रिटर्न, अंतरण विक्रय तथा समस्त प्रकार के कर, यदि अलग से प्रभारित है, सम्मिलित नहीं होंगे;

(5) ''कुल टर्नओवर'' से अभिप्रेत है, कुल प्राप्तियों या कुल संवितरण की रकम जो भी अधिक हो जो यथास्थिति प्रारंभिक या अंतिम नगद अतिशेष, बैंकों में जमा या उनसे प्रत्याहरण तथा मुख्यालय/शाखा समायोजन, कंट्रा आइटम, आंतरिक अंतरण समायोजन घटाने के पश्चात् आई हो;

(6) ''बकाया ऋण अग्रिम'' से आशय है कि तुलन पत्र में दर्शाये गये समस्त प्रकार के बकाया ऋण एवं अग्रिम का योग.

17. इस अधिसूचना के अधीन संपरीक्षा फीस का मान वर्ष 2014-15 एवं उसके आगे के वर्षों हेतु प्रभावशील होगा.

संपरीक्षा फीस के मान का संगणना चार्ट
(उपाबंध 1)

क्र.	वार्षिक कारबार की सीमा	औसत कारबार	0 से 100 लाख तक संपरीक्षा फीस का उद्ग्रहण			क्र.	1 से 100 करोड़ तक संपरीक्षा फीस का उद्ग्रहण		
			दर प्रति लाख	न्यूनतम	अधिकतम		दर प्रति लाख	न्यूनतम	अधिकतम
1	0-1	0.5	100	500	500	20	–	–	–
2	1-2	1.5	100	500	500	21	55	5700	8250
3	2-3	2.5	100	500	500	22	50	8250	12500
4	3-4	3.5	100	500	500	23	45	12500	15750
5	4-5	4.5	100	500	500	24	40	15750	18000
6	5-6	5.5	100	500	550	25	35	18000	19250
7	6-7	6.5	100	550	650	26	30	19250	19500
8	7-8	7.5	100	650	750	27	30	19500	22500
9	8-9	8.5	100	750	850	28	30	22500	25500
10	9-10	9.5	100	850	950	29	30	25500	28500
11	10-20	15	100	950	1500	30	25	28500	37500
12	20-30	25	95	1500	2375	31	20	37500	50000
13	30-40	35	90	2375	3150	32	20	50000	70000
14	40-50	45	85	3150	3825	33	20	70000	90000
15	50-60	55	80	3825	4400	34	20	90000	110000
16	60-70	65	75	4400	4875	35	20	110000	130000
17	70-80	75	70	4875	5250	36	20	130000	150000
18	80-90	85	65	5250	5525	37	20	150000	170000
19	90-100	95	60	5525	5700	38	20	170000	190000

टीप.—100 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ तक के वार्षिक कारबार पर किसी सोसाइटी की संपरीक्षा फीस रुपये 5/- प्रति लाख की दर से न्यूनतम रुपये 1,90,000/- सम्मिलित करने के पश्चात् तथा 500 करोड़ से ऊपर के वार्षिक कारबार पर 1/- प्रति लाख की दर से न्यूनतम रुपये 3,90,000/- सम्मिलित करने के पश्चात् अधिकतम रुपये 6,00,000/- की सीमा के अधीन उद्ग्रहीत की जाएगी.

No. F-5-1-2015-XV-1.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 58, read with Section 95 of the Madhya Pradesh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this Department's Notificatioin No. F.5-13-88-XV-1 Dated 30th August 2001 and No. F.5-4-2011-XV-1, Dated 19th July, 2011, the State Government, hereby, makes following further amendment in Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for existing schedule, the following schedule shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE
Scale of audit fees
[See rule 50-A sub-rule (1)]

The audit fees from a society as per its classification made by the Registrar, Co-operative Societies, from time to time, under section 10 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies, Act, 1960 (No. 17 of 1961), based on the annual business, shall be levied as under :—

S. No. (1)	Class of Society (2)	Type of Society (3)	Basis of levy of audit fees (4)
1	Resource Societies	Primary Central Apex	Outstanding Loan Advances -do- -do-
2	Consumer Society—		
	(i) Except Electric Society	Primary Central Apex	Total Sales -do- -do-
	(ii) Electric Society	Primary Apex	Total Turnover -do-
3	Producers Socciety—		
	(i) Except Milk, Oil Seed & Laghu Vanopaj Society	Primary Central Apex	Total Turnover -do- -do-
	(ii) Milk & Oil Seed Society	Primary Central Apex	Total Sales -do- -do-
	(iii) Laghu Vanopaj Society	Primary Central Apex	As per note No. 5 -do- -do-
4	Housing Society	Primary Apex	Total Turnover -do-
5	Processing Socciety—		
	(i) Except Sugar Federation	Primary Central	Total Sales -do-
	(ii) Sugar Federation	Apex	Total Turnover

6	Multipurpose Societies	Primary Central Apex	Total Turnover -do- -do-
7	General Societies	Primary Central Apex	Total Turnover -do- -do-
8	Marketing Society	Primary Apex	Total Sales -do-
9	Farming Society	Primary Apex	Total Turnover -do-

2. The audit fees of a society shall be levied subject to the minimum/maximum limit of audit fees corresponding to it's annual business being less/more than the average business and at the rates and other conditions mentioned in the enclosed Annexure-1.

3. If annual business of a society is less than the average business mentioned in the corresponding slab, audit fees shall be levied subject to the minimum limit and, if the annual business of a society is more than the average limit, the audit fees shall be levied under maximum limit, but irrespective of the audit fees leviable as per the prescribed rates provided in schedule, the maximum & minimum fees for the societies mentioned below shall be leviable as per given below :—

S. No. (1)	Particulars (2)	Minimum Limit of audit Fees (3)	Maximum Limit of audit Fees (4)
1	Primary Weavers and power loom Society.	500/-	5,000/-
2	Primary Agriculture Credit Society	500/-	5,000/-
3	Urban Cooperative Bank	20,000/-	2,00,000/-
4	District Agriculture & Rural Development Bank.	500/-	25,000/-
5	State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank.	500/-	2,00,000/-
6	All Type of Apex & Central Societies whom concurrent Audit is conducted by External Auditor—		
	Up to 1000 crore (Central & Apex Society)	500/-	3,00,000/-
	Above 1000 crore—(For Central Society)	500/-	4,00,000/-
	Above 1000 crore—(For Apex Society)	500/-	6,00,000/-

4. Audit fees for auditing the accounts of a society under liquidation shall be levied at the rate of one percent on assets realised.

5. In case of a society doing business on agency basis exclusively or in addition to its own business, the audit fees subject to the provisions of note No. 3 shall be levied at the rate of 1% upto a maximum limit of Rs. 3,00,000/- on the commission earned/service charges received for services rendered, but audit fees under this clause shall not be applicable in case of societies whose audit fees is levied on the basis of total turnover.

6. Processing unit, local/regional/district and division level branches/sale centre of a society shall be treated as a separate branch for the purpose of levy and additional audit fees shall be levied as per rates mentioned below:—

S. No. (1)	Particulars (2)	Primary (3)	Central (4)	Apex (5)
1	For Financial Banks	250/-	500/-	1,000/-
2	For Other Societies	100/-	250/-	500/-
3	For Processing unit	500/-	500/-	500/-

7. Audit fees levied shall be rounded off to the nearest rupees.

8. A Cooperative society, for which audit has been conducted by departmental auditor, shall ensure to deposit the audit fees in the Government Treasury in Head of Account 0425 Co-operation-101, within 2 months of levey memo having been issued. But if the statutory audit has been conducted by a Chartered Accountant/Chartered Accountant Firm, Such payment, as per the levy memo issued by the Registrar, shall be made to the concerned Chartered Accountant/Chartered Accountant Firm, by the society, and it shall be binding for the societies to ensure to pay an additional amount, equivalent to 10% of such remuneration payable to such Chartered Accountant/ Chartered Accountant Firm, to the state goernment by remitting such amount in Government Treasury.

9. **Exemption from payment of Audit Fees.**—In case the Audit is conducted by departmental auditor, the audit fees shall be exempted as follows–

(1) No audit fee shall be levied in case of a society which is either defunct or dorment or economically week or under liquidation and which has had no cash transactions.

(2) Each primary society of every class shall be exempted from payment of audit fee for first two accounting years from the date of it's registration but the society organised by women members and educated unemployed persons, shall have exemption for five years.

(3) Sale of the controlled commodities under Food Security Act, as approved by the State Government, shall be exempted from levy of audit fee.

10. If a special audit under clause (e) of sub-section (1) of Section 58 of Madhya Pradesh Co-opertive Societies Act, 1960 and clause (ii) of sub-rule (11) of rule 50 of Rules 1962 made thereunder is conducted of a society then before issuance of order for such special audit, audit fee shall be required to be deposited through challan in Government Treasury in Head of Account 0425 Co-operation-101, as follow :—

S. No. (1)	Particulars (2)	Special Audit Fees (Rs.) (3)
1	Apex Co-operative Societies	5,000/-
2	Central Co-operative Societies	2,000/-
3	Primary Co-operative Societies	500/-

11. Under Sub-section (2) Section 56 of Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 and sub-rule (3) of Rule 50-A of Rules, 1962, every society is required to submit to the office of Registrar, Co-operative Societies, Madhya Pradesh, before 30th September every the audited statements of accounts with a copy of the Challan of the amount deposited in Government Treasury in Head of Account 0425 Co-operation-101 as per the rates as given below :—

S. No. (1)	Particulars (2)	Fees (Rs.) (3)
1	Apex Co-operative Societies	500/-
2	Central Co-operative Societies	300/-
3	Primary Co-operative Societies	100/-

12. If departmental auditor makes concurrent audit of a society, the society shall be required to deposit monthly salary of such departmental officer / employee in proportion to his working time in the Government Treasury in every quarter.

13. No. payment on account of travelling allowance, lodging and boarding or else shall be made to a Chartered Accountant / Chartered Accountant Firm for Statutory audit of a society.

14. As per the central Government notification in this regard, a Chartered Accountant / Chartered Accountant Firm, shall be paid the service tax charged on due audit fees, in addition to the audit fees.

15. In case of delayed submission of audit report, after the prescribed period in the notification, the remuneration payable to the firms of auditors shall be deducted at the rate of 10% per month.

16. **Definitions.**—

(1) "Statutory audit" means the audit of accounts of a society of an accounting year and submission of audit note after verification and analysis of financial statement.

(2) "Concurrent audit" means audit of accounts of a society of an accounting year to be conducted on day to day regularly during the current year.

(3) "Audit fees" means service charge levied on a society in liew of services rendered by the department for conducting audit, inspection, enquiry and supervision thereof.

(4) "Total sales" means amount of sale of commodities obtained during the course of trading activities which shall not include sales return, transfer sales and all type of taxes, if charged separately.

(5) "Total turnover" means the amount of total receipts or total disbursements arrived at after deducting opening or closing cash balances, deposits into or withdrawals from the Banks, as the case may be and head office / branch adjustments, contra items, internal transfers adjustments, whichever is more.

(6) "Outstanding Loan Advances" means the total of all types of loan and Advances shown in balance sheet.

17. The scales of audit fee under this notification shall be effective for accounting year 2014-15 and onwards.